रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2006/कार्तिक 11, 1928
No. 536] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2006/KARTIKA 11, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2006

सं. 29/2006—सेवा कर

सा.का.नि. 688(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये 2 नवम्बर, 2006 से प्रवृत्त होंगे।

2. सेवा कर नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 4 के उप-नियमों (2) और (3) के स्थान पर निम्न नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) जहां एक व्यक्ति, जो एक करादेय सेवा पर सेवा कर देने के लिए बाध्य हो,

(i) ऐसी सेवा एक से अधिक परिसरों या कार्यालयों से प्रदान करता हो; या

(ii) ऐसी सेवा एक से अधिक परिसरों या कार्यालयों में प्राप्त करता हो; या

(iii) के एक से अधिक परिसर या कार्यालय हों, जो ऐसी सेवा के संदर्भ में किसी प्रकार से इस तरह जुड़े हों कि उस व्यक्ति को सेवा कर देना पड़े,

और उसके पास इस प्रकार प्रदान की गई सेवा के संबंध में केन्द्रीयकृत बिलिंग प्रणालियां या केन्द्रीयकृत लेखांकन प्रणालियां हैं और ऐसी केन्द्रीयकृत बिलिंग या केन्द्रीयकृत लेखांकन प्रणालियां एक से अधिक कार्यालयों या परिसरों में अवस्थित हैं, वहाँ वह, अपने विकल्प पर, उन परिसरों या कार्यालयों को पंजीकृत करा सकेगा जहां ऐसी केन्द्रीयकृत बिलिंग प्रणालियां या लेखांकन प्रणालियाँ अवस्थित हैं।

(3) उप-नियम (2) के अधीन पंजीकरण की स्वीकृति ऐसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे परिसर या कार्यालय, जहाँ से केन्द्रीयकृत बिलिंग या केन्द्रीयकृत लेखांकन किया जाता है, अवस्थित है, द्वारा दी जायेगी :

बशर्ते कि इस उप-नियम में कोई अन्य बात होते हुए भी ऐसे परिसरों या कार्यालयों को, जिनमें ऐसी केन्द्रीयकृत बिलिंग या केन्द्रीयकृत लेखांकन प्रणालियां हैं, 2 नवम्बर, 2006 से पूर्व अनुदत्त पंजीकरणों पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी।"

3. उक्त नियम, के नियम 5 के उप-नियम (4) में, शब्दों "यथास्थिति" के स्थान पर शब्दों "यथास्थिति, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा दलों को" अंत:स्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. 137/50/2005-सी एक्स-4]

दिलीप गोयल, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम अधिसूचना सं. 2/94-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और भारत के राजपत्र असाधारण में सा.का.नि. 546 (अ), तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा उनमें अंतिम संशोधन, अधिसूचना सं. 28/2006-सेवा कर, दिनांक 30 सितम्बर, 2006 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 612(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2006

No. 29/2006—Service Tax

G.S.R. 688(E).—In exercise of the powers conferred by Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Sixth Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the 2nd day of November, 2006.

2. In the Service Tax Rules, 1994 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(2) Where a person, liable for paying service tax on a taxable service,

(i) provides such service from more than one premises or offices; or

(ii) receives such service in more than one premises or offices; or

(iii) is having more than one premises or offices, which are engaged in relation to such service in any other manner, making such person liable for paying service tax,

and has centralised billing system or centralised accounting system in respect of such service, and such centralised billing or centralised accounting systems are located in one or more premises, he may, at his option, register such premises or offices from where centralised billing or centralised accounting systems are located.

(3) The registration under sub-rule (2), shall be granted by the Commissioner of Central Excise in whose jurisdiction the premises or offices, from where centralised billing or accounting is done, are located :

Provided that nothing contained in this sub-rule shall have any effect on the registration granted to the premises or offices having such centralised billing or centralised accounting systems, prior to the 2nd day of November, 2006."

3. In rule 5 of the said rules, in sub-rule (4), for the words "as the case may be", the words "as the case may be, or, by the audit party deputed by the Comptroller and Auditor General of India." shall be substituted.

[F. No. 137/50/2005-CX.-4]

DILIP GOYAL, Under Secy.

Note.— The principal rules were notified *vide* notification No. 2/94-Service Tax, dated the 28th June, 1994 and published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R.546 (E), dated the 28th June, 1994 and were last amended *vide* notification No. 28/2006-Service Tax, dated the 30th September, 2006 which was published *vide* number G.S.R. 612(E), dated the 30th September, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.